फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत .....

.....मुकाम.....

.....बनाम.....किस्म मुकद्दमा .....

.....नं.....सन.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6.11.2019	**हिरालाल वगैरह बनाम पृथ्वीराज वगैरह** **मु0 नं. 88/19 मु.रे.** **दिनांक – 6–11–2019** पत्रावली पेश हुई । वकील विपक्षी के द्वारा दिनांक 23–10–19 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत शिघ्र सुनवाई पर प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 2 को नोटिस जारी किये गये जो बाद तामील प्राप्त हुए जो शामिल पत्रावली रहे । विपक्षी कमांक 1 कि ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद हसन खां उपस्थित एवं प्रार्थीगण की और से अधिवक्ता श्री महेन्द्रसिंह चुण्डावत उपस्थित । दोनो पक्षो को सुना गया , प्रकरण अस्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित होने से न्यायहित में शिघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है । दोनो पक्षो कि बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. पर सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हे की प्रार्थीगण ने अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि मोजा भाटोली गुजरान के खतोनी सं. 122 कि आराजी नं 715, 888, 889, 900, 1155, 1506/769, 1507/769, 1660/1153 कुल किता 8 कुल रकबा 1.9850 हैक्टेयर, खतोनी सं. 189 कि आराजी नं. 714, 725, 739, 763, 885, 1164, 1474/713, 1475/713, 1494/764, 1495/764, 1535/869, 1536/869,1537/877, 1551/915, 1552/915, 1661/1153 कुल किता 16 कुल रकबा 5.3090 हैक्टेयर , खतोनी सं. 193 कि आराजी नं. 1492/757 रकबा 0.0630 , आराजी नं. 1493/757 रकबा 0.0630 हेक्टेयर कृर्षी भूमी	

Scanned by CamScanner

स्थित है । वादग्रस्त आराजीयात मुल पुरुष गोकल जी की थी जिनके एक पुत्र नारु जी हुए नारु कि मृत्यु के बाद उक्त आराजीयात उनके दोनो पुत्रो नाथु व घासी के विरासत से दर्ज हुई । घासी के कोई पुत्र सन्तान नही होने से उन्होने उनके दोहित्र को गोद रखा जो उसके 1/2 हिस्से पर मालिक काबिज होकर काश्त कर रहा है तथा नाथु के दो पुत्र प्रार्थीगण हिरालाल , नारायण हुए जो विरासत से उनके हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है । नारु की जमीन में घासी एवं नाथु का बराबर 1/2 –1/2 हक हिस्सा बनता है । प्रार्थना पत्र कि चरण सं. 2 कि उपचरण सं.1 दर्ज वादग्रस्त आराजीयाज में प्रार्थीगण का संयुक्त रुप से 1/2 हक हिस्सा एवं विपक्षी सं. 1 का 1/2 हक हिस्सा है । प्रार्थना पत्र कि चरण सं. 2 कि उपचरण सं.2 दर्ज वादग्रस्त आराजीयाज में प्रार्थीगण का संयुक्त रुप से 1/4 हिस्सा विपक्षी सं. 1 का 1/4 हिस्सा है , प्रार्थना पत्र कि चरण सं. 2 कि उपचरण सं.3 दर्ज वादग्रस्त आराजीयाज में प्रार्थीगण का संयुक्त रुप से 1/6 हिस्सा , विपक्षी सं. 1 का 1/2 हिस्सा है । पक्षकारान के बिच रकबे कि कमी बेशी को लेकर विवाद होता रहता है । विपक्षी सं. 1 कि नियत में खोट आ जाने से वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण के हिस्से कब्जे काश्त में दखल एवं बाधा पेदा कर रहा है । प्रार्थीगण कि आराजीयात में मवेशी चरा देता है । वादग्रस्त आराजीयात में विशिष्ट भाग को अपना अकेले का बता कर ग्राहक खडे कर रहा है । प्रार्थीगंण का प्राइमाफेसी केस है , सुविधा का सन्तुलन प्राथीगण के पक्ष में है । विपक्षी सं. 1 वादग्रस्त आराजीयात को खुर्दबुर्द करने में तथा फसल नष्ट करने में

Scanned by CamScanner

कामयाब हो जावेगा तो प्रार्थीगण को अपुर्तनिय क्षति होगी अतः प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का अनुतोष चाहा है । प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज कर विपक्षीगण को तलब किया गया विपक्षी सं. 1 ने प्रार्थना पत्र का जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया कि नारु के परिवार मे भाईबन्ध अम्बा था अम्बा के कोई सन्तान पेदा नही होने से उन्होने नाथु को गोद लिया. गोद लेने देने कि रस्म अदा कि गई. अम्बा ने नाथु को बडा किया. नाथु को समाज मे अम्बा के पुत्र के रुप मे ही जाना पहचाना जाता है अम्बा कि मृत्यु के बाद उसकी आराजीयात रामी पत्नि अम्बा के खातेदारी में दर्ज हुई रामी की मृत्यु के बाद उसके खातेदारी की आराजीयात उसके गोद पुत्र नाथु के खातेदारी में दर्ज हो चुकी है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । नाथु प्राकृतिक पिता कि जायदाद को भी हडपना चाहता है एवं गोद पिता कि जायदाद को भी हडपना चाहता है । जबकि गोद गये हुए व्यक्ति का उसके प्राकृतिक पिता के परिवार से कोई सम्बन्ध नही रहते है । नाथु उसके प्राकृतिक पिता नारु कि जायदाद प्राप्त करने का अधिकारी नही है । नाथु ने अम्बा के भाई किसना कि पुत्रीयों से केवल मात्र नुमाईशी तोर पर जमीन क्रय की जबकी उनको कोई प्रतिफल नही दिया गया एवं किसना कि एक पुत्री विकृतचित मस्तिष्क की है उससे भी विक्रय पत्र लिखवा लिया जो प्रारम्भतः शुन्य है । विपक्षी सं. 1 नारु के खातेदारी कि सम्पुर्ण जायदाद का मालिक है । नाथु अम्बा के गोद चले जाने से अब उसके

फर्द अहकाम
(नियम 26)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी

प्राकृतिक पिता नारु के खातेदारी कि आराजीयात में किसी प्रकार का हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नही है । नाथु ने प्रार्थीगण के पक्ष में जो दानपत्र निष्पादित किया है वह विपक्षी सं. 1 के हितो के विपरित होने से शुन्य प्रभावी है । नाथु व धासी ने आपसी सहमती से बटवाडा नही कर रखा है । वादग्रस्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी में दर्ज है । नाथु ने प्रार्थीगण के पक्ष में दान पत्र निष्पादित कर उक्त आराजीयात उनकी खातेदारी में दर्ज कराई है जो शुन्य प्रभावी है । राजस्व रिकार्ड में नाथु के पिता नाम अम्बा दर्ज है । प्रार्थीगण नारु के खातेदारी कि जमीन प्राप्त करने के अधिकारी नही है । वादग्रस्त आराजीयात उप चरण सं. 3 में वर्णित भूमी पर विपक्षी सं. 1 ने उसके गोद पिता धासी के समय से ही बना रखा है एवं काविज है । रकबे कि कमी वेशी को लेकर विवाद नही रहता है । विपक्षी सं. 1 प्रार्थीगण के कब्जे में कोई दखल पेदा नही कर रहा है । विपक्षी सं. 1 ने कभी भी मवेशी प्रार्थीगण की आराजीयात में नही चराये है । मुख्य रास्ते से लगी हुई आराजी पर विपक्षी सं. 1 काविज है । विपक्षी सं. 1 वादग्रस्त आराजीयात को विक्रय नही कर रहा है , न ग्राहक खडे कर रहा है । प्रार्थीगणका प्रथमदृष्टया केस प्रमाणित नही है सुविधा कस सन्तुलन एवं अर्पुतनिय क्षति का सिद्वान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही है । प्रार्थीगण विपक्षी सं. 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द कराने का अधिकारी नही है । जवाब के विशेष कथन में वर्णित किया की नाथु अम्बा के गोद चले जाने से अम्बा की आराजीयात उसकी पत्नि रामी पत्नि अम्बा के खातेदारी में दर्ज हुई रामी कि मृत्यु के बाद विरासत से नाथु के खातेदारी में दर्ज हुई जो नाथु के

Scanned by CamScanner

में जारी ....

.......................नं..सन.....................................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खातेदारी में चली आ रही है । नाथु बाल्यअवस्था में ही अम्बा के कोई सन्तान पेदा नही होने से अम्बा के गोद चला गया , नाथु के गोद चले जाने से उसके प्राकृतिक पिता नारु के परिवार से रिश्ता समाप्त हो गया अतः नाथु उसके प्राकृतिक पिता कि आराजीयात प्राप्त करने का अधिकारी नही है । नाथु ने उसके प्राकृतिक पिता के खातेदारी की आराजीयात में उसका नाम दर्ज करवा दिया जिसका नाजायज फायदा उठा कर नाथु ने उसके दोनो पुत्र प्रार्थीगण के पक्ष में दान पत्र निष्पादित कर दिया जिससे प्रार्थीगण के खातेदारी में वादग्रस्त आराजीयात दर्ज हुई है जो विपक्षी सं. 1 के हितो के विपरित होने से शुन्य प्रभावी है । वादग्रस्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी में दर्ज है । एक सह खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है क्योंकि कानुनन एक सह खातेदार का प्रत्येक इन्च भूमी पर कब्जा माना जाता है । प्रार्थीगण ने मुल वाद में भूमीधारी जरिये तहसीलदार डुगंला को आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया है जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में उनके विरुद्ध अन्तरीम आदेश पारित कराया है जबकि भूमीधारी को धारा 80 जा0दी0 का कोई नोटिस नही दिया है न प्रार्थना पत्र एवं वाद के साथ धारा (80)2 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । प्रार्थीगण ने विपक्षी सं. 1 को नाजायज परेशान करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । विपक्षी कमांक 1 उसके गोद पिता घासी कि आराजीयात पर काबिज है । विपक्षी कमांक 1	

Scanned by CamScanner

फर्द अहकाम
(नियम 26)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहका हुक्म व में ज

ने प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. खारीज किये जाने कि प्रार्थना की है । दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्तागण कि बहस सुनी गई , पत्रावली का अवलोकन किया गया । वकील विपक्षी ने बहस के दोरान आर आर डी 1997 पेज 427 ,आर आर टी 2011 –12 (सप्लीमेन्ट्री) पेज 192 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये जिनका ससम्मान अवलोकन किया गया । प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हे की नाथु के खातेदारी में नाथु पिता नारु व नाथु पिता अम्बा दोनो कि आराजीयात दर्ज है एवं नाथु द्वारा जो बक्षीस नामा प्रार्थीगण के पक्ष में निष्पादित किया है उसमें नाथु पिता नारु गोदी पुत्र अम्बा दर्ज है यह दस्तावेज पंजीकृत दस्तावेज होकर नाथु के द्वारा ही लिखा गया है इससे स्पष्ट हे की नाथु अम्बा के गोद गया है । वादग्रस्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी में दर्ज है । एक सह खातेदार का प्रत्येक इन्च भूमी पर कब्जा माना जाता है रिकार्डेड सह खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रति नही होता है । वकील विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उक्त वर्णित न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण में चस्पा होते है । प्रार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे जाहिर हो कि विपक्षी कमांक 1 द्वारा दखल एवं बाधा पैदा कर रहा हो , प्रार्थीगण उनका प्रथम दृष्टतया केस प्रमाणित करने में असफल रहे है । सुविधा का सन्तुलन एवं अपुर्तनिय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही है । विपक्षी सं. 1 वादग्रस्त आराजी का सह खातेदार है जिसे उक्त आराजी का उपयोग उपभोग करने का अधिकार है । प्रार्थीगण को किसी प्रकार कि कोई अपुर्तनिय क्षति कारित

Scanned by CamScanner

FROM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	तारीख हुक्म
	—7— नही हो रही है । अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. सारहीन होने से खारीज किया जाता है । आदेश आज दिनांक 6—11—2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया । पत्रावली बाद तकमील सलग्न मुलवाद रहे । उपखण्ड अधिकारी डूंगला	

Scanned by CamScanner